1.10(B)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुबन्ध

परियोजना का नामः— जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी–सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद **बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी0 मोटर मार्ग** के निर्माण में प्रभावित 4.340 है0 भूमि के बदले दुगुने में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 8.680 है0 भूमि ग्राम **बदियाकोट** की सिविल बेनाप खाता सं0 9(3)ख(1) बजर काबिल आबाद भूमि जो राज्य सरकार की भूमि है। जिसमे राज्य सरकार का स्वामित्व है ग्राम **बदियाकोट** की सिविल बेनाप भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को देने में सहमत हूँ।

सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0 वि0
अधिशासी अभियन्ता (बागेश्वर)
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट